बिहार लघु उद्यमी योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार ने **स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न करने के लिये 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को ₹2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंज़ूरी दी है।**

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई **कैबिनेट बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई**, जिसमें **"बिहार लघु उद्यमी योजना"** को मंज़ूरी दी गई।
- **पाँच वर्ष** तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य **9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को रोज़गार के अवसर** प्रदान करना है जिनकी **मासिक आय ₹6,000 प्रतिमाह से कम है।**
- **राज्य उद्योग विभाग इस योजना को लागू करेगा और लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।**
- गरीब परिवारों के **कम-से-कम एक सदस्य** को 63 प्रकार की इकाइयों में से हस्तशिल्प, कपड़ा, सैलून, भोजनालय जैसी **छोटी औद्योगिक या प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने तथा उन्हें चलाने के लिये तीन किस्तों में ₹2 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।**
- कैबिनेट ने **₹9.79 करोड़ के अनुमानित वार्षिक व्यय को** मंज़ूरी दी:
- **सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा की तैयारी करने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) परिवारों के छात्रों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता** के दायरे का विस्तार करना।
- भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसी **अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले** EBC छात्रों को **₹75,000 से ₹30,000 तक का एकमुश्त वित्तीय अनुदान भी मिलेगा।**

नोट:

- हाल ही में **बिहार सरकार ने** जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट **जारी करने के बाद राज्य विधानसभा में सामाजिक-आर्थिक आँकड़े जारी किये।**
  - आँकड़ों से पता चला कि **राज्य के कुल 2,76,28,995 परिवारों में से 94,33,312 परिवार (या 34.13%) आर्थिक रूप से गरीब हैं।**
  - गरीब परिवारों में से **3.31 मिलियन परिवार EBC से, 2.47 मिलियन परिवार** अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) **से, 2.34 मिलियन परिवार अनुसूचित जाति (SC) से, 1.08 मिलियन परिवार सामान्य वर्ग से और 2,01,000 परिवार अनुसूचित जनजाति (ST) से हैं।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-laghu-udyami-yojana